<u>महतारी वंदन योजना e-KYC परियोजना</u>

<u>उद्देश्य-</u>

महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की प्रत्येक विवाहित महिला को प्रतिमाह ₹1,000/- की राशि उनके पंजीकृत एवं आधार सीडेड बैंक खाते में प्रदान की जाती है।

राज्य की ऐसी महिलाएं जिन्होंने महतारी वंदन योजना हेतु आवेदन पंजीकृत किया है किन्तु आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) लंबित है, ऐसे छूटे हुए हितग्राहियों के लिए CSC VLEs द्वारा ग्राम पंचायत भवन / वार्ड कार्यालय में उनके e-KYC का कार्य त्रुटिरहित एवं समयबद्ध रूप से संपादित किया जाना है ताकि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

<u>लक्षित हितग्राही –</u>

e-KYC की प्रक्रिया केवल e-KYC प्रमाणीकरण हेतु छूटे हुए हितग्राहियों के लिए है जिसकी सूची आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास उपलब्ध होगीI

<u>शिविर स्थल –</u>

ग्रामीण क्षेत्र में चयनित ग्राम पंचायत भवन एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय

<u>कार्यावधि –</u>

e-KYC की प्रक्रिया परियोजना प्रारंभ होने से 15 दिवस तक |

<u>e-KYC कार्य हेतु पूर्व तैयारी</u>

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा e-KYC हेतु छूटे हुए हितग्राहियों को शिविर से संबंधित कार्यक्रम हेतु सूचित कर शिविर स्थल तक लाने संबंधित कार्यवाही करना |
- ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी आदि से समन्वय कर e-KYC के लिए **ग्राम पंचायत भवन/वार्ड कार्यालय** में बैठने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
- सीएससी VLE द्वारा हितग्राहियों के e-KYC के लिए निर्धारित **समय-सारणी** को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना। (सूचना बोर्ड, मुनादी, व्हाट्सएप ग्रुप आदि माध्यम से)।
- जिला स्तर पर CSC जिला प्रबंधक, महिला बाल विकास के अधिकारी आदि द्वारा शिविर कार्यक्रम का समन्वय करना।

<u>e-KYC कार्य हेतु आवश्यक उपकरण:</u>

- कार्यशील कंप्यूटर/लैपटॉप।
- बायोमेट्रिक डिवाइस (फिंगरप्रिंट/आइरिस स्कैनर) जो e-KYC पोर्टल के साथ संगत हो। (Morpho, Mantra, Startek आदि)

JOIN our WhatsApp Channel LATEST JOB UPDATE Tap to JOIN

- इंटरनेट कनेक्टिविटी (डोंगल/ब्रॉडबैंड)।
- वेब कैमरा (लाइव फोटो कैप्चर हेतु)

e-KYC प्रक्रिया में सावधानी –

- सीएससी VLE द्वारा महतारी वंदना योजना की छूटी हुई/पात्र सूची से हितग्राही की पहचान कर मिलान करना
- हितग्राही के आधार में दर्ज नाम एवं जन्मतिथि एवं अन्य विवरण आदि का भी मिलान करना |
- आधार नंबर एवं महतारी वंदन योजना हेतु पंजीकृत आईडी की पुष्टि, हितग्राही एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से करना।

हितग्राही का e-KYC हेतु आवश्यक चरण :

- e-KYC हेतु तैयार पोर्टल में लॉगिन कर हितग्राही का आधार एवं पंजीयन क्रमांक की प्रविष्टि करना |
- हितग्राही का आधार प्रमाणीकरण हेतु Fingerprint/IRIS आप्शन का चयन करना।
- तत्पश्चात हितग्राही का लाइव फोटो कैप्चर करना |
- हितग्राही का बायोमेट्रिक उपकरण द्वारा प्रमाणीकरण पूर्ण करना |

सफल e-KYC के पश्चात:

- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को प्रदत्त सूची में "e-KYC Done" अंकित कर अपडेट करना |

e-KYC असफल होने पर:

- यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, तो हितग्राही को सलाह दें कि वह अपने **आधार केंद्र** जाकर बायोमेट्रिक डेटा को **अद्यतन (Update)** करवाए, और यह प्रक्रिया सफल होने तक जारी रखें।
- e-KYC के असफल होने का कारण दर्ज करें (जैसे – आधार नाम असंगत, फिंगरप्रिंट न मिलना आदि)।
- संबंधित हितग्राही/ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुधार हेतु परामर्श दें।

आवश्यक दिशा -निर्देश

VLE हेतु दिशा निर्देश:

1. महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का e-KYC कार्य ग्रामीण क्षेत्र में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र हेतु चयनित ग्राम पंचायत भवन एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड कार्यालय में ही संपन्न किया जावेगा |
2. E-KYC का कार्य सिर्फ सीएससी वीएलई द्वारा ही किया जावेगा उक्त कार्य सीएससी वीएलई के अधीन कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा नहीं किया जावेगा |
3. **e-KYC कार्य पूर्ण रूप से नि: शुल्क है | हितग्राही से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है |**

4. यह कार्य पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के समन्वय से किया जाना है अत: शिविर आयोजित करने से पूर्व आपके क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क स्थापित कर नियत तिथि एवं स्थान पर शिविर का आयोजन किया जाना है |
5. सीएससी वीएलई द्वारा किसी भी स्थिति में चयनित स्थल के अतिरिक्त अपनी शॉप में e-KYC का कार्य नहीं किया जाना है |
6. शिविर का आयोजन चयनित स्थल पर 15 दिवस के लिए आयोजित किया जाना है |
7. प्रत्येक दिन e-KYC शिविर में उपस्थित हितग्राहियों की सूची एवं हस्ताक्षर रजिस्टर में अंकित करें।
8. शिविर स्थल पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करें, ताकि लाभार्थियों की पहचान में सुविधा हो।
9. प्रतिदिन शिविर समाप्ति के बाद e-KYC की संख्या एवं लंबित मामलों की रिपोर्ट व्हाट्सएप/मेल द्वारा जिला प्रबंधक सीएससी को भेजें।
10. शिविर प्रारंभ करने से पहले सिस्टम, डिवाइस, एवं इंटरनेट कनेक्शन की जाँच कर लें ताकि बीच में रुकावट न हो।

<u>आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु दिशा निर्देश:</u>

1. महतारी वंदन योजना के छूटे हुए हितग्राहियों को सूचित करना एवं शिविर स्थल e-KYC हेतु लाना |
2. यदि किसी हितग्राही का डेटा mismatch या कोई तकनीकी समस्या आती है, तो इसे ब्लॉक सुपरवाइज़र या जिला समन्वयक को तुरंत सूचित करें।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा क्षेत्र में मुनादी कराना |
4. शिविर की तिथि, समय और स्थल की जानकारी कम से कम 2 दिन पहले हितग्राहियों तक पहुँचाएँ।
5. ग्राम पंचायत सचिव/ सरपंच एवं वार्ड पार्षद एवं सीएससी वीएलई द्वारा समन्वय स्थापित कर शिविर का आयोजन करना |
6. हितग्राही के पहचान संबंधी संदेह की स्थिति में स्थानीय प्रमाण या दस्तावेज़ से पुष्टि में सहयोग करें।
7. यदि कोई पात्र महिला e-KYC से वंचित रह जाती है, तो उसकी सूचना VLE और पर्यवेक्षक को दें।
8. शिविर स्थल, कुर्सी, टेबल, बिजली आदि की व्यवस्था पंचायत सचिव से सुनिश्चित करें। हितग्राहियों की पंक्ति, क्रम, एवं बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि भीड़ प्रबंधन सुचारू रहे।

<u>संयुक्त समन्वय दिशा-निर्देश:</u>

1. शिविर से पहले एक **संयुक्त बैठक (Coordination Meeting)** करें जिसमें हितग्राही सूची, शिविर स्थान, समय एवं प्रक्रिया तय हो।
2. दोनों मिलकर ग्राम/वार्ड स्तर पर सुनिश्चित करें कि कोई पात्र महिला e-KYC से वंचित न रहे।
3. शिविर के अंत में प्रतिदिन संयुक्त रूप से **"शिविर रिपोर्ट"** जिला अधिकारी एवं जिला प्रबंधक सीएससी को साझा करें।